फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु

केशाराम बनाम बगताराम वगैरा

किस्म मुकदमा धारा 212 अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 नं. 79/22 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
07.03.2022	प्रार्थी की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा यह प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थी को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को न्यायहित में सुना गया तथा पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्यनन किय गया। प्रार्थी की सयुंक्त खातेदारी की भूमि मौजा कुम्पलिया, गोदारो की ढाणी व जागूंओं की ढाणी पटवार हल्का कुम्पलिया तहसील गिड़ा में आई हुई है। प्रार्थी के अनुसार विप्रार्थीगण प्रार्थी की सम्पूर्ण भूमि में दखलअन्दाजी करने पर आमदा है और यदि ऐसा हो गया तो वाद बहुलता बढ़ेगी। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति एवं प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष का बनना प्रतीत होता है अतः विप्रार्थीगण को आगामी पेशी तारीख 30/03/2022 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी मौजा कुम्पलिया पटवार हल्का कुम्पलिया तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 425 (वर्तमान ख. नं. 843/425, 842/425, 841/425, 844/425) रकबा 34.07 बीघा व मौजा गोदारों की ढाणी पटवार हल्का कुम्पलिया के खेत खसरा नं. 157, 339 रकबा क्रमशः 01.16 बीघा, 51.08 बीघा व मौजा जांगूओं की ढाणी पटवार हल्का कुम्पलिया के खेत ख. नं. 419, 420, 423 व 424 रकबा क्रमशः 0.12 बीघा, 15.12 बीघा, 0.07 बीघा, 0.03 बीघा की भूमि में प्रार्थी के हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थी किसी प्रकार दखलंदाजी नहीं करें तथा न ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण करें व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इसी माफिक उभय पक्षकारन् पाबन्द करे। विप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जारी होकर मिसल वास्ते जवाब दिनांक 30/03/2022 को पेश हो। उपखण्ड मजिस्ट्रेट (SDO) बायतु	

30/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 28/04/2022 को पेश हो। तबतक स्थगन आदेश पूर्व आदेशा-नुसार यथावत रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

28/04/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी डिलेवर्ड रसीदें प्रार्थी वकील द्वारा पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे, न्याया-लय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विपक्षीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है अतः वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 14/06/2022 को पेश हो, तबतक स्थगन आदेश पूर्वआदेशानुसार यथावत रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

14/06/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी का मूल आवे-दन (रिव्यू) खारिज हो चुका है इसलिए उक्त स्थगन आवेदन का कोई औचित्य नहीं रहता है अतः उक्त स्थगन आवेदन को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है पत्रावली खारिज शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो, मूल पत्रावली के संलग्न रहे।